<u>न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड (म0प्र0)</u>

कमांक डी.1 / स्टेनो / 2023 **दिनांक 02.01.2023**

<u>/ / कार्य विभाजन पत्रक / /</u>

मैं **कमलेश भरकुँदिया**, **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** भिण्ड, दण्ड प्रकिया संहिता की **धारा 14(1), 15(2)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भिण्ड जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य पूर्व प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित करते हुये **<u>दिनांक 02.01.2023</u>** <u>से आगामी आदेश पर्यन्त</u> प्रभावशील निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय** भिण्ड के पूर्व **अनुमोदन के अधीन** रहेगा :–

क0	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	**क्षेत्र**	**कार्य का विभाजन**
1	**2**	**3**	**4**
01.	कमलेश भरकुँदिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड	संपूर्ण जिला **भिण्ड**	1. जिला परिवहन अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 2. कारखाना अधिनियम 1948 3. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 4. बाल श्रमिक (प्रतिषेध) विनियमन अधिनियम 1986 5. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 6. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी(केन्द्रीय एवं राज्य के श्रम निरीक्षकों / प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत श्रम अधिनियम के आपराधिक प्रकरण), भारतीय मानक ब्यूरो, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम। 8. भिण्ड जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 9. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिनमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को है। 10. भिण्ड वृत्तांर्गत उद्‌भूत होने वाले वाइल्ड लाइफ से संबंधित समस्त प्रकरण 11. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वे प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड की राशि जे.एम.एफ.सी. के अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक हो। 12. जिला भिण्ड के आरक्षी केंद्रो से उद्‌भूत निरसन प्रतिवेदन (ई.आर.)। 13. मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद।

			14. तहसील भिण्ड वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
तहसील भिण्ड		खाद्य एवं औषधि, विभाग भिण्ड, नापतौल विभाग भिण्ड, नगर पालिका भिण्ड से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।	
02.	**श्री चंद्रशेखर राठौर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	पुलिस थाना **सिटी कोतवाली, सुरपुरा** और आबकारी वृत क्रमांक 1	1. पुलिस थाना **सिटी कोतवाली और सुरपुरा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदिका/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **बरोही, लोकायुक्त** से संबंधित धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण। 7. तहसील भिण्ड, अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (10 लाख एक रूपए से बीस लाख रूपए तक) 8. **आबकारी वृत्त क्रमांक 1 तहसील भिण्ड** से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण

03.	**श्री पियूष भावे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	पुलिस थाना **देहात और आबकारी वृत क्रमांक 2**	1. पुलिस थाना **देहात** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदिका/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. जिला जेल भिण्ड में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) 5. पुलिस थाना **सिटी कोतवाली और नयागॉव** से संबंधित धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ 6. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 7. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण। 8. तहसील भिण्ड, अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (5 लाख एक रूपए से 10 लाख रूपए तक) 9. **आबकारी वृत्त क्रमांक 2 तहसील भिण्ड** से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 10. जनपद पंचायत भिण्ड के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण जो धारा 12 एवं 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में दर्शाये गये हैं, से संबंधित प्रकरण।
04.	सुश्री पायल परमार न्यायिक	पुलिस थाना **बरोही**	1. पुलिस थाना **बरोही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड		2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **सुरपुरा** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण। 7. तहसील भिण्ड व अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (1 लाख एक रूपए से 5 लाख रूपए तक)
05.	सुश्री अनुराधा गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	**महिला पुलिस थाना**	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय जिला मुख्यालय भिण्ड स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते

			हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक, विविध प्रकरण एवं **महिला पुलिस थाना** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं मानव तस्करी रोधी इकाई से संबंधित प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच(176 द.प्र.स.) 4. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
06.	श्री विशाल खाड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	पुलिस थाना **फूप**	1. पुलिस थाना **फूप** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **देहात और उमरी** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण। 7. तहसील भिण्ड व अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (1 रूपए से 1 लाख रूपए तक)

07.	सुश्री चाहना शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	पुलिस थाना **पावई और अटेर**	1. पुलिस थाना **पावई और अटेर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **फूप और अ.जा.क.** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉं। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
08.	सुश्री मोहिनी भदौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	पुलिस थाना **उमरी**	1. पुलिस थाना **उमरी** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.चसंशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण।

			2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **महिला थाना और अटेर** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
09.	श्री बलराम मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	पुलिस थाना **नयागॉव**	1. पुलिस थाना **नयागॉव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द. वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **पावई** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।

10.	श्री मनोज कुमार भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लहार	पुलिस थाना **लहार, रावतपुरा एवं दबोह**	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तहसील लहार स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं **थाना लहार, रावतपुरा एवं दबोह** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण। 4. उपजेल लहार में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. जनपद पंचायत लहार के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण जो धारा 12 एवं 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में दर्शाये गये हैं, से संबंधित प्रकरण।
		तहसील लहार	1. तहसील लहार क्षेत्रांतर्गत उद्भूत खाद्य एवं औषधि विभाग लहार, नगर पालिका अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. लहार वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से

			संबंधित समस्त प्रकरण । 3. तहसील लहार वृत्तांतर्गत उद्भूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड लाइफ से संबंधित समस्त प्रकरण। 4. आबकारी वृत्त लहार से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण
11.	श्रीमती सारिका भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लहार		**रिक्त न्यायालय**
12.	श्री कौस्तुभ खेड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	पुलिस थाना **रौन, मिहोना**	1. पुलिस थाना **रौन एवं मिहोना** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 दं.प्र.सं.) 4. पुलिस थाना **आलमपुर, दबोह, असवार** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।

13.	श्री जयदीप मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	पुलिस थाना **असवार एवं आलमपुर**	1. पुलिस थाना **असवार एवं आलमपुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 दं.प्र.सं.) 4. पुलिस थाना **लहार, रावतपुरा, रौन और मिहोना** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
14.	श्री यतिन अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद	पुलिस थाना **गोहद एवं मालनपुर**	1. पुलिस थाना **गोहद एवं मालनपुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को

			छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. उपजेल गोहद में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) 5. पुलिस थाना **मौ, गोहद चौराहा** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉं। 6. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 7. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण
		तहसील गोहद	1. गोहद वृत्तांतर्गत उदभूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. तहसील गोहद के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर पालिका अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. गोहद वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4. आबकारी वृत्त गोहद से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
15.	श्रीमती सरिता पारस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद	पुलिस थाना **गोहद चौराहा**	1. पुलिस थाना **गोहद चौराहा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि.1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को

			छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **गोहद** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण
16.	सुश्री आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद	पुलिस **थाना मौ**	1. पुलिस **थाना मौ** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **एण्डोरी एवं मालनपुर** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण

17	सुश्री रीना शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद	पुलिस थाना **एण्डोरी**	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तहसील गोहद स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं **थाना एण्डोरी** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण । 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच(176 द.प्र.स.) 4. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
18.	श्री राकेश कुमार कुशवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	पुलिस थाना **मेहगांव एवं अमायन**	1. पुलिस थाना **मेहगांव एवं अमायन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण एवं

			विविध प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. उपजेल मेहगॉव में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) 5. पुलिस थाना **गोरमी** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 6. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 7. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण
		तहसील मेहगांव	1. तहसील मेहगांव के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर पालिका अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. मेहगांव वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 3. तहसील मेहगांव वृत्तांतर्गत उदभूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड से संबंधित समस्त प्रकरण। 4. आबकारी वृत्त मेहगॉव से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
19.	सुश्री कल्पना कोतवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	पुलिस थाना **बरासों**	1. पुलिस थाना **बरासों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत

			अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **भारौली व अमायन** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण
20.	श्रीमती प्रियंका कुशवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	पुलिस थाना **गोरमी**	1. पुलिस थाना **गोरमी** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) 4. पुलिस थाना **मेहगॉव एवं बरासों** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उदभूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण

21.	सुश्री दीक्षा अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	पुलिस थाना **भारोली**	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तहसील मेहगॉव स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं **थाना भारोली** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित प्रकरण । 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 दं.प्र.सं.) 4. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।

नोट :— कार्यविभाजन पत्रक माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड द्वारा **अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील** माना जावेगा।

नोटः—

01. जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मुख्यालयों में रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा पूर्व से जारी किये गये वारंटों/स्थायी वारंटों से संबंधित प्रकरणों एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा रिवीजन/अपील/याचिका आदि में पारित आदेशों का निराकरण संबंधित आरक्षी केंद्रों पर न्यायिक क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जावेगा या उनके अनुपस्थित रहने की दशा में कार्यविभाजन पत्रक संलग्न **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य का संचालन किया जावेगा।

02. चलित न्यायालय का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा संपूर्ण भिण्ड जिले में किया जावेगा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड में मोटरयान अधिनियम से संबंधित चलित न्यायालय का संचालन अपने—अपने थाना क्षेत्र में करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को अन्य थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय का संचालन करने हेतु

समय–समय पर अधिकृत कर सकेगा। इस स्थापना के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चलित न्यायालय लगाने के पूर्व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अनुमति लेकर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड को लिखित सूचना देने के उपरांत ही लगा सकेंगे। यह भी सुनिश्चित रखें कि न्यायालयीन कार्य दिवसों में चलित न्यायालय के आयोजन की स्थिति में पूर्व से नियत कार्य प्रभावित न होवे।

03. धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान एवं संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिये अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में की गई कार्य व्यवस्था **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कथन व संस्वीकृति अंकित की जावे।

04. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को निर्देशित किया जाता है कि दूरस्थ प्रदेश से या वह साक्षी जिनकी उपस्थिति बड़े विलम्ब से उपाप्त की गयी है उन साक्षियों के उपस्थित होने पर पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने या अवकाश पर रहने की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक संलग्न **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त साक्षी की साक्ष्य अभिलिखित की जा सकेगी।

05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को निर्देशित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने या अवकाश पर रहने या स्थानांतरण की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक संलग्न **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट **अभियोग पत्र (चालान)** लेंगे एवं अन्य आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।

06. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारण्ट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोष के अभिवाक् करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख निराकरण पश्चात् मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।

07. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

08. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

09. धारा 325 दंप्रसं के अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी भेजी जावे।

10. वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

11. पराक्रम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरण रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा पूर्व से जारी किये गये वारंटों/स्थायी वारंटों से संबंधित प्रकरणों एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा रिवीजन/अपील/याचिका आदि में पारित आदेशों का निराकरण जिला मुख्यालय पर वर्तमान में राशि से संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

12. कार्यविभाजन पत्रक के साथ संलग्न **प्रारूप एक** में समस्त प्रभारी मजिस्ट्रेटगण की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

13. श्रीमती सारिका भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार के रिक्त न्यायालय के प्रकरणों का प्रभार कार्यविभाजन पत्रक के साथ संलग्न **प्रारूप एक** के अनुसार आगामी आदेश तक प्रभारी मजिस्ट्रेटगण द्वारा संपादित किया जावेगा।

सही / —

(कमलेश भरकुँदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड

पृष्ठांकन क0................ भिण्ड, दिनांक...........................

प्रतिलिपि :—

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला भिण्ड की ओर अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।

02. पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं भिण्ड जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

03. श्री / श्रीमती / सुश्री...न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ....जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

05. अध्यक्ष अभिभाषक संघ .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

06. थाना प्रभारी थाना .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भिण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही / —

(कमलेश भरकुँदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड